न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—105/2020 (2020/00166) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भुवाना पिता नानु बैरवा निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—मदन पिता नानु बैरवा निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—अणछी बेवा नानु बैरवा निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—रामेश्वरलाल पिता भुरालाल ब्राहम्ण निवासी ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
2—गणेश पिता भुरा बैरवा निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—लादी पुत्री कुका बैरवा निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—गोपी पिता जग्गु बैरवा निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. जाकिर हुसैन — विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 07.01.2021

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आशाहोली पटवार हल्का आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2952 रकबा 1.84 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 462 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण अपनी अराजी संख्या 2952 में आवागमन पैदल, संज, बैल, ट्रेक्टर आदि से विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 2940 रकबा 4.38 है0 की पश्चिमी पाली से होकर आगे विपक्षी संख्या 2 व 3 की सामलाती आराजी संख्या 2949 रकबा 0.47 है0 की पश्चिमी पाली पर होते हुए आगे विपक्षी संख्या 4 की आराजी संख्या 2950 रकबा 0.47 है0 की पश्चिमी पाली पर होते हुए अपनी आराजियात में आवागमन वर्षो से करते चले आ रहे हैं। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 भी इसी रास्ते से होते हुए अपनी आराजियात में फसल बोते रहे है वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 व 2 व 3 ने मौके पर रास्ता पश्चिमी पाली पर छोड़ रखा है लेकिन विपक्षी सख्या 4 ने अपनी आराजी संख्या 2950 की पश्चिमी पाली पर छोड़े गये रास्ते को बन्द कर प्रार्थीगण को आने जाने से रोक दिया है एवं रास्ते को अवरूद्व कर बाधा उत्पन्न की है एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने से प्रार्थीगण को आवागमन करने से जबरन रोक दिया है। प्रार्थीगण के आवागमन करने का एकमात्र यही रास्ता है इसके अलावा प्रार्थीगण के आवागमन करने का कोई वैकल्पिक रास्ता नही है और न ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया [illegible] संख्या 2940 रकबा 4.38 है0, आराजी संख्या 2949 रकबा 0.47 है0, आराजी संख्या [illegible] 0.47 है0 भूमि की पश्चिमी पाली पर 15 फीट चौड़ाई के रूप में रास्ता [illegible] डी.एल.सी. [illegible] की दुगुनी राशि जमा करा उक्त रास्ते को बिलानाम रास्ते के रूप में दर्ज [illegible] की सम[illegible] भूमि की डीएलसी राशि विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4 को नियमानु[illegible] दिलाया जानें का आ[illegible]हसीलदार साहब रायपुर के नाम प्रदान फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 14.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 स्वयं

उपस्थित होकर रास्ता देने में सहमति स्वरूप जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया व विपक्षी संख्या 4 के अधिवक्ता जाकिर हुसैन द्वारा अधिकार पत्र एवं जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। विपक्षी संख्या 4 की ओर से जवाब में अकिंत किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को गलत बताते हुए अस्वीकार किया गया। प्रार्थीगण की उक्त आराजी से लगती हुई आ.स. 2831 रकबा 1.06 हैo है जो प्रार्थीगण की है जो गांव से आने वाले बिलानाम रास्ता आराजी संख्या 2847 के आगे स्थित 20 फीट चौड़ा रास्ते से लगती हुई है जिसे नक्शा ट्रेस में गुलाबी स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थीगण की आराजियात संख्या 2952 में आवागमन का रास्ता विपक्षीगण संख्या 1 से 4 की आराजी संख्या 2940, 2949, 2950 की पश्चिमी पाली पर न तो कभी था और न वर्तमान में है। प्रार्थीगण विपक्षीगण की आराजियात में नाजायज रास्ता कायम कराना चाहते है। प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन का रास्ता ग्राम आशाहोली से जाने वाले बिलानाम रास्ता आराजी संख्या 2847 से होकर आगे आराजी संख्या 2830 पर बने हुए 20 फीट चौड़े रास्ते से प्रार्थीगण अपनी आराजियात 2831 मे होकर आराजी संख्या 2952 में वर्षो से आवागमन कर रहे है प्रार्थीगण की आराजी 2831 से आगे अन्य लोगो की आराजियात तक जा रहा है विपक्षी की आराजी संख्या 2950 में प्रार्थीगण का रास्ता है ही न ही तो बन्द करने का सवाल ही पैदा नही होता प्रार्थीगध द्वारा झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमावे।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि प्रार्थीगण ने ग्राम आशाहोली की सीमा में स्थित खातेदारी आराजी संख्या 2952 में आवागमन हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। आराजी संख्या 2952 के चारो तरफ खातेदारी भूमियां स्थित है बिलानाम व आम रास्ता स्थित नही है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण की आराजी संख्या 2940, 2949, 2950 की पश्चिमी मेड़ से रास्ता चाहा है मौके पर बिलानाम आम रास्ता 2938 से होकर विपक्षीगण के आराजी संख्या 2940 व 2950 की पश्चिमी मेड़ पर करीब 15 फीट चौड़ा रास्ता बना हुआ है जो मौके पर चालु है। आराजी संख्या 2950 की मेड़ पर प्रतिवादी ने थोर की बाड़ व छड़िया डालकर रास्ता बन्द कर रखा है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा बिलानाम आराजी संख्या 2847 एवं खातेदारी आराजी संख्या 2830 में रास्ता मौजुद है जो प्रार्थीगण के खातेदारी आराजी संख्या 2831 की मेड़ पर मिलता है जो वर्तमान में चालु है। आराजी संख्या 2831 व 2952 की मेड़ मिली हुई है। वर्तमान में प्रार्थीगण अपनी आराजी में दोनो रास्तो से आवागमन कर सकता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आराजी संख्या 2940, 2949, 2950 की पश्चिमी मेड़ पर 15 फीट चोड़ा प्रस्तावित किया है जो आराजी संख्या 2940 रकबा 4.38 हैo मे से 0.0550 हैo, आराजी संख्या 2949 रकबा 0.47 हैo मे से 0.0250 हैo, आराजी संख्या 2950 रकबा 0.47 हैo मे से 0.0200 हैo जिसकी डीएलसी दर 71010 रूपये प्रति बीघा के अनुसार 32860 रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 65720 रूपये मुआवजा राशि बनती है। वर्तमान रास्ते को बल्यू इंक से व प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है नक्शा ट्रेस संलग्न है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा वैकल्पिक रास्ता बिलानाम आराजी संख्या 2847 से होकर खातेदारी आराजी संख्या 2830 में स्थित रास्ता है जो प्रार्थीगण के आराजी संख्या 2831 की मेड़ पर स्थित है।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्य कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित [illegible] रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि को बिलानाम रास्ते दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे [illegible] क्रमांक 4 चाहे तो प्रस्तावित रास्ते की भूमि के बदले भूमि देने में भी प्रार्थीगण [illegible] है।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित [illegible] को दोहराते हुए बताया कि आराजी संख्या 2831 जो प्रार्थीगण की खातेदा[illegible] पत्र में अंकित नही किया जहां से रास्ता चाहा जा रहा है वह बन्द है आराजी संख्या 2831 के को[illegible]र रास्ता है प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:03 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण

द्वारा विपक्षीगण की आराजी संख्या 2940, 2949 और 2950 मे से चाहा गया है जिसमें विपक्षी क्रमांक 1, 2 व 3 को अपनी खातेदारी आराजी संख्या 2940 व 2949 में रास्ता देने हेतु कोई आपत्ति नही करते हुए भूमि कीमत लेने से भी मना किया है इससे दक्षिण की ओर विपक्षी क्रमांक 4 की आराजी संख्या 2950 दर्ज रेकार्ड है जो प्रार्थीगण को रास्ता देने में मना किया जा रहा है विपक्षी अधिवक्ता द्वारा आराजी संख्या 2830 की उत्तरी मेड़ पर रास्ता होना अकिंत किया तथा फोटोग्राप्स पेश किये जो शामिल पत्रावली है तहसीलदार रायपुर द्वारा भी आराजी संख्या 2830 की उत्तरी पूर्वी मेड़ एवं आराजी संख्या 2940 व 2949 एवं 2950 की पश्चिमी मेड़ पर आवागमन का रास्ता चालु होना बताया गया है किन्तु आराजी संख्या 2930 के खातेदार विपक्षी संख्या 4 द्वारा मौके पर थोहर की बाड़ व छड़िया डालकर बन्द करना दर्शाया गया है।

इस प्रकरण के निस्तारण में मुख्य बिन्दु यह उभरकर आया कि विपक्षी की आराजियात पर पंहुचने हेतु दोनो तरफ से रास्ते है जो दोनो ही रास्ते खातेदारी भूमियो में होकर आ रहे है उक्त दोनो रास्तो मे से प्रार्थीगण को कहां रास्ता दिया जाना न्यायोचित है ?

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा है कि जहां खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नही हो और खातेदार अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य खातेदारो की भूमि से रास्ता चाहता है तो न्यूनमत दुरी का रास्ता दिया जाना होता है।

इस प्रकरण में हालांकि प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आवागमन हेतु दो तरफ से रास्ता है किन्तु राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है प्रार्थीगण भविष्य में रास्ते को लेकर विवाद न हो उस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज कराना चाहता है तो उक्त अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार न्यूनतम दुरी का रास्ता जो प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित किया गया है। इसी के साथ विपक्षी क्रमांक 1 से 3 अपनी खातेदारी 2940 व 2949 में चालु रास्ते को रेकार्ड में दिलानाम दर्ज कराने में कोई आपत्ति नही कर रहे है उससे आगे दक्षिण की ओर विपक्षी क्रमांक 4 की खातेदारी भूमि है जिसमें से रास्ता चाहा जा रहा है जो मात्र 50 मीटर की दुरी है और अगर सम्पूर्ण दुरी को देखा जाये तो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते की दुरी 250 मीटर है जबकि विपक्षी द्वारा दर्शाये गये रास्ते की दुरी 310 मीटर है। उक्त दोनो रास्तो में न्यूनतम दुरी को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 2940 रकबा 4.38 है0 मे से 0.0550 है0, आराजी संख्या 2949 रकबा 0.47 है0 मे से 0.0250 है0, आराजी संख्या 2950 रकबा 0.47 है0 मे से 0.0200 है0 जिसकी डीएलसी दर 71010 रूपये प्रति बीघा के अनुसार 32860 रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने पर आराजी संख्या 2940 के खातेदार को 36146 रूपये, आराजी संख्या 2950 के खातेदार को 16430 रूपये एवं आराजी संख्या 2949 के खातेदार को 13144 रूपये मुआवजा राशि का भुगतान करने पर एवं अगर कोई खातेदार मुआवजा नही लेना चाहे तो स्वयं की इच्छा है और प्रस्तावित रास्ते की भूमि के बदले भूमि लेना चाहे तो उस अनुसार कार्यवाही करते हुए रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता [illegible] किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:03 IST
Reason: SelfAttested

7.1.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—105/2020 (2020/00166) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भुवाना पिता नानु बैरवा निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—मदन पिता नानु बैरवा निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—अणछी बेवा नानु बैरवा निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—रामेश्वरलाल पिता भुरालाल ब्राहम्ण निवासी ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
2—गणेश पिता भुरा बैरवा निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—लादी पुत्री कुका बैरवा निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—गोपी पिता जग्गु बैरवा निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 2940 रकबा 4.38 है0 मे से 0.0550 है0, आराजी संख्या 2949 रकबा 0.47 है0 मे से 0.0250 है0, आराजी संख्या 2950 रकबा 0.47 है0 मे से 0.0200 है0 जिसकी डीएलसी दर 71010 रूपये प्रति बीघा के अनुसार 32860 रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने पर आराजी संख्या 2940 के खातेदार को 36146 रूपये, आराजी संख्या 2950 के खातेदार को 16430 रूपये एवं आराजी संख्या 2949 के खातेदार को 13144 रूपये मुआवजा राशि का भुगतान करने पर एवं अगर कोई खातेदार मुआवजा नही लेना चाहे तो स्वयं की इच्छा है और प्रस्तावित रास्ते की भूमि के बदले भूमि लेना चाहे तो उस अनुसार कार्यवाही करते हुए रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 07.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

7.1.2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:03 IST
Reason: SelfAttested